81

# राजस्थान सरकार
## परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 12 (9) पार्ट–IV/परि/सांख्य/2012 जयपुर, दिनांक

## आदेश

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंकोर्पोरेटेड (NICSI) द्वारा तैयार किये जाने वाले स्मार्ट कार्ड्स के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों के भुगतान की सुगम एवं त्वरित कार्रवाई को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांकः 21698 दिनांक 03.10.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए NICSI द्वारा प्रस्तुत स्मार्ट कार्ड्स बिलों के भुगतान प्रक्रिया को IT शाखा एवं लेखा शाखा में निम्नानुसार विभाजित किया जाता हैः–

**(I) आई.टी. शाखा द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य–**

I. NICSI द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर समस्त अधीनस्थ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों से गत तीन माह में NICSI द्वारा तैयार किये गये स्मार्ट कार्ड्स की संख्या एवं कार्य बाधित घण्टों (Hours) की सूचना प्राप्त करना।

II. अधीनस्थ समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त तैयार स्मार्ट कार्ड्स की संख्या एवं कार्यबाधित घण्टों की सूचना के आधार पर दावा राशि की गणना का विवरण पत्र तैयार करना।

III. NICSI को भुगतान किये जाने हेतु तैयार गणना विवरण पत्र के आधार पर भुगतान हेतु पत्रावली वित्तीय सलाहकार के माध्यम से लेखा शाखा को प्रस्तुत किया जाना।

IV. NICSI द्वारा प्रस्तुत बिलों का प्रमाणन, NICSI एवं उसके एम्पेनल्ड वेण्डर द्वारा किये जाने वाले समस्त पत्राचार का निस्तारण आदि।

**(II) लेखा शाखा द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य–**

I. आई.टी. शाखा द्वारा NICSI के प्रस्तुत बिलों, तैयार किये गणना पत्रों की जांच एवं परीक्षण किया जाना।

II. NICSI को भुगतान योग्य राशि का भुगतान हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कराना।

III. NICSI को भुगतान की जाने वाली राशि के IFMS में Pay Manager Module में बिल तैयार कर पारित किये जाने हेतु कोषालय को प्रस्तुत किया जाना।

उक्त आदेश की पालना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

Sd/-
(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव



Scanned by CamScanner

क्रमांकः एफ 12 (9) पार्ट–IV/परि/सांख्य/2012/26714-20 जयपुर, दिनांक 22/10/19

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव
2. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
3. अति. परिवहन आयुक्त (आई.टी.)
4. समस्त अधिकारी गण प्रधान कार्यालय....................................................................................
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी..............................................
7. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार



Scanned by CamScanner